राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 03/2022 – प्रा0पत्र बाबत् रेफरेन्स

1. यमुनाशंकर आत्मज बनाम कन्हैयालाल धाकड निवासी जावदा तहसील बिजौलिया	1. हरजी नाथ आत्मज नाथू नाथ कालबेलिया निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा 2. सूरज कुमार आत्मज चांदमल धोबी निवासी बिजौलिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा 3. तहसीलदार बिजौलिया
–प्रार्थी	–विपक्षी

उपस्थित –

1. श्री आर0सी0 सारस्वत – प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से
2. श्री दिनेश सिसोदिया अधिवक्ता – विपक्षी 1 व 2 की ओर से
3. राजकीय पेरोकार, विपक्षी 3 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.02.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरिया, पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 224/88 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूदान यज्ञ बोर्ड, अजमेर के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी तथा नामान्तरण सं0 447 दिनांक 22.06.2004 के द्वारा उक्त आराजी विपक्षी सं0 1 हरजी नाथ के नाम दर्ज की गई।

विपक्षी सं 3 द्वारा दिनांक 15.01.2021 को अपने कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व/2021/66 द्वारा उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड किए जाने के आदेश पारित किए गए, जो मौके के विपरीत है। जरिए रेफरेन्स खारिज किए जाने योग्य है। उक्त आराजी पर वि–1 ने दिनांक 22.06.2004 के आवंटन बाद भी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। जिसका विवरण 2060 से 2073 तक खसरा गिरदावरी में स्पष्ट है कि एक भी वर्ष काश्त दर्ज नहीं है। वि–1 द्वारा आवंटन शर्तों की कभी पालना नहीं की गई है। जबकि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2021 में आवंटन शर्तों की पालना की जाने का अंकन किया है। वि–1 ने आवेदन के साथ काश्त किए जाने संबंधित झूठा शपथ पत्र पेश किया है और मौके पर किसी अन्य का कब्जा व विवाद नहीं होने का अंकन किया है।

जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी के परिवार का कुंआ जो करीब 80 फीट गहरा होकर विघुत कनेक्शन व इन्जन है, बना हुआ है, मकान बने होकर पत्थर की कोट भी लगी होकर प्रार्थी का कब्जा विगत 20 वर्षों से है। वि–1 का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी को बेदखल करने के प्रयास खरीददार विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रारम्भ कर देने से सर्वप्रथम जानकारी से उत्पन्न होकर जारी है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.12.2020 सर्वथा गलत अंकित की है। भू0अ0नि ने 06.01.2022 को उक्त आराजी पर कब्जे का विवाद होने की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार पूर्व रिपोर्ट दिनांक 11.12.2020 सर्वथा गलत है।

5.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूमिधारी ने मात्र 2076–2077 की खसरा गिरदावरी में विप–1 को लाभांवित करने के लिए तथा खातेदारी का अधिकार दिनांक 15.01.2021 को पारित करने के उद्देश्य से गलत अंकन खसरा गिरदावरी में 2076–2077 में मक्की की फसल काश्त करना अंकित किया है, जबकि मौके पर विपक्षी सं 1 द्वारा कभी काश्त नहीं की गई। जब संबत 2060–2075 तक कोई काश्त नहीं है और मौके पर मकानात् , कुआं तथा पत्थर का कोट प्रार्थी का बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अचानक 2076–2077 में गलत अंकन कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है, जिसके आधार पर खातेदारी का आदेश दिनांक 15.01.2021 को पारित हुआ है। उक्त ततकालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.01.2021 को पारित किया गया आदेश सर्वथा नियमों के विपरीत तथा मौके की स्थिति को अनदेखा कर गलत व कूटरचित रिपोर्ट्स प्राप्त कर तहसीलदार द्वारा पारित किया गया आदेश है, जो जरिए रेफरेंस खारिज किए जाने योग्य है, जो प्रार्थनार्थ है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब अनुसार विपक्षी–1 के नाम पर जो खातेदारी अधिकार दिनांक 15.01.2021 को दिए गए हैं, वह पूर्णतयाः विधिसंगत है, जिसमें प्रार्थी जो कि अजनबी है उसको आक्षेप करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 के भूमिहीन सद्भाविक कृषक होने से उक्त आराजीयात विधिवत् दिनांक 22.06.2004 को विधि की सारी औपचारिकताये अक्षरत् पूर्ण करते हुऐ एवं नियमो, उप–नियमो की पूर्णतयाः पालना करते हुऐ आवंटित कर कब्जा सिपूर्द किया गया तथा बाद आंवटन उत्तरदाता/विपक्षी संख्या 01 ने आंवटन शर्तों की हमेशा पालना की है व करता रहा है और इसी के कारण उसे खातेदारी अधिकार भी विधि के तहत दिये गये है, जहां तक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2060 से 2073 तक में काश्त दर्ज नहीं होने का प्रश्न है तो इस बाबत् निवेदन है कि उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 ने अपने अथक श्रम एवं व्यय से उक्त आराजीयात में फसल काश्त की किन्तु दुर्भाग्य से वर्षा अभाव, अतिवृष्टि, फसलीय बीमारी आदि के कारण फसल नहीं हो सकी तो इसमें रंचित मात्र भी दोष उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 का नहीं रहा है, इसी सद्भाविक कारण से विपक्षी संख्या 03 ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2021 में आंवटन शर्तों की पालना करने का तथ्य सही एवं वास्तविक अंकित किया है, वैसे नी आंवटन नियमो में काफी वर्षों पूर्व संशोधन किया जाकर फसल कास्त नहीं करने के आधार पर आंवटन निरस्त करने के आधार को समाप्त किया जा चुका है, यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि विपक्षी संख्या 03 अथवा राज्य सरकार जो कि भूमि के लैण्ड होल्डर है, उनके द्वारा भी कोई किसी प्रकार की कार्यवाही इस दौरान नहीं की गयी है. जो इस बात का परिचायक है कि उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 ने आंवटन शर्तों की अक्षरत पालना की है व करने का भरसक प्रयास किया है, वैसे भी अगर कोई किसी प्रकार की आंवटन शर्तों की पालना बकौल प्रार्थी उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 द्वारा नहीं की जाती तो आंवटन नियमो के तहत उक्त आंवटन को निरस्त करने की कार्यवाही अधिकृत विभाग/व्यत्यिों द्वारा संस्थित की जाती, जो आज दिन तक नहीं की गयी है। विधि में जब आंवटन नियमो के बाबत् प्रावधान बने हुऐ है तो फिर उक्त प्रावधानो के विपरित यह रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं रहता है, मात्र उक्त आराजीयात को हथियाने के दुराशय से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आंवटन के लगभग 18 वर्षों उपरान्त गलत एवं झूठे आधारो पर प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया का जानबुझकर भंयकर दुरूपयोग किया है, इस कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को विधि के तहत पोषणीय न होने से एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के आधार पर उदाहरर्णीय खर्चे पर खारिज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

उत्तरदाता विपक्षी ने जो शपथपत्र दिनांक 03.11.2020 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया, उसमें काश्त करने का तथ्य पूर्णतयाः सही एवं वास्तविक अंकित किया है। उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आंवटनसुदा आराजीयात पर कब्जा उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 का तथा बाद बिकाव उत्तरदाता विपक्षी संख्या 02 का निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से हो चला आ रहा है तथा कोई किसी प्रकार का कब्जा प्रार्थी का उक्त आराजीयात में नहीं है एवं न

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कभी रहा है। जहां तक प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात में 80 फिट कुआ अपना होना व मकान बने होने का तथ्य अंकित किया है, वह सर्वथा गलत है, वैसे भी इस आधार पर रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं रहता है। प्रार्थी यदि आंवटन आदेश से व्यथित था तो उसे तत्कालीन समय में ही अर्थात् वक्त आंवटन आदेश उक्त आदेश की अपील/निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी और निर्विवाद रूप से आंवटन दिनांक 20.06.2004 को किया गया है जिसे लगभग 18 वर्ष से अधिक का समय हो गया है किन्तु इस दौरान प्रार्थी द्वारा कोई किसी प्रकार की आपत्ति, एतराज नहीं किया जाना उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने का ही द्योतक है, जहां तक दिनांक 06.01.2022 को पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का प्रश्न है तो अव्वल तो इस प्रकार की रिपोर्ट की कोई किसी प्रकार की जानकारी उत्तरदाता विपक्षीगण को नहीं है और यदि प्रार्थी ने तत्कालीन पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र से आपसी मिलाभगती एवं दुरभिसन्धि कर उत्तरदाता विपक्षीगण को बिना सूचित किये कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट तथाकथित रूप से अपना कब्जा दर्शाने के दुराशय से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से करा भी ली हो तो ऐसी रिपोर्ट नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित होकर गलत एवं अवैध है और निर्विवाद रूप से उत्तरदाता विपक्षी संख्या 02 सद्भाविक केता की हैसियत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात पर काबिज खातेदार काश्तकार है और विधि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सही होने की हमेशा अवधारणा की जाती है। इस प्रकार कोई किसी प्रकार का कब्जा प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर नही है एवं न कभी रहा है। वैसे भी इसी आराजीयात के संबंध में एक वाद/प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के यहां प्रार्थी एवं उसके अन्य भाईयो माता अर्थात् कन्हैयालाल धाकड के वारिसान द्वारा उत्तरदाता विपक्षीगण तथा अन्य व्यक्तियो के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 12/2022 राजस्व वाद एवं 9/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र कायम होकर उक्त प्रकरण लम्बित है, ऐसी हालत में इन्ही आराजीयात के संबंध में यह रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र विधि के तहत पोषणीय नहीं होकर काबिल सव्यय खारिज के है। निर्विवाद रूप से सम्वत् 2076–2077 में उत्तरदात्ता विपक्षी द्वारा उक्त आराजीयात में मक्की की फसल काश्त की गयी और इसी कारण खसरा गिरदावरी में इसका उल्लेख किया गया है तो फिर सम्वत् 2076 से 2077 की खसरा गिरदावरी में गलत अंकन कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और न उत्तरदाता विपक्षीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज तैयार ही किया है, खसरा गिरदावरिया पटवार हल्का के द्वारा विधिवत् मौका मुआयना करने के उपरान्त तैयार की जाती हैं, बकौल प्रार्थी सम्वत् 2060 से 2075 की खसरा गिरदावरियां तो सही है और 2076 से 2077 की खसरा गिरदावरी फर्जी एवं कूटरचित है अर्थात् प्रार्थी चिट भी अपना पट भी अपना चाहता है जो कत्तई संभव नहीं है, मात्र उत्तरदाता विपक्षीगण की आराजीयात को जबरन भुज बल के आधार पर हथियाने के दुराशय से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विधि की व्यवस्था के सर्वथा विपरित लगभग 18 वर्षो उपरान्त प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे खर्चे पर काबिल खारिज के है। दिनांक 15.01.2021 का आदेश पूर्णतयाः विधिवत् होकर न्यायोचित है, जिसे किसी कदर रेफरेन्स के द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है, न विधि इसकी इजाजत ही देती है, वैसे भी आंवटन के 03 वर्षो उपरान्त स्वतः खातेदारी अधिकार विधि के तहत प्राप्त हो जाते है, ऐसी हालत में भी उक्त प्रार्थना पत्र किसी कदर पोषणीय न होकर काबिल सव्यय खारिज के है। प्रार्थी किसी कदर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 को अपास्त कराने हेतु राजस्व मण्डल में रेफरेन्स कराये जाने का अधिकारी नहीं है, न ऐसा कानूनन किया जा सकता है, क्योकि विधिवत् आंवटन दिनांक 22.06.2004 को आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती किसी भी व्यक्ति, विशेष अथवा राजकीय विभाग द्वारा नहीं दी गयी है तो फिर उक्त आंवटन विधिवत् होकर अन्तिमतता को प्राप्त हो चुका है और आंवटन शर्तों की अक्षरत पालना करने के कारण ही विधिवत् खातेदारी अधिकार दिये गये है और उक्त खातेदारी अधिकारों के उपरान्त उत्तरदाता विपक्षी संख्या 01 को अपनी पारिवारिक जायज जरूरियात हेतु रूपयो की सद्भाविक आवश्यकता होने से उक्त वर्णित आराजीयात सप्रतिफल उत्तरदाता विपक्षी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 02 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को बिना सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिये हुऐ निरस्त नहीं किया जा सकता है. ऐसी हालत में यह रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया का भंयकर दुरूपयोग मात्र है, उक्त अनावश्यक बैरून मियाद क्षेत्राधिकार से परे रेफरेन्स के प्रार्थना पत्र से उत्तरदाता विपक्षीगण को भारी मानसिक शरीरिक आघात लगने के साथ–साथ अनावश्यक आर्थिक बौझ भी वहन करना पडा, जिसकी क्षतिपूर्ति कत्तई अर्थ में संभव नहीं है फिर भी बतौर हर्जाना उक्त रेफरेन्स के प्रार्थना पत्र को 50000/– रूपये के हर्जे पर खारिज करते हुऐ उक्त 50000/– रूपये बतौर क्षतिपूर्ति स्वरूप उत्तरदाता विपक्षीगण को दिलाया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। प्रार्थी का उक्त आराजीया पर कब्जा विगत 20 वर्षों से कदापि चला नहीं आ रहा है तथा न कभी रहा है बकौल प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का कब्जा होता तो वह वक्त आंवटन दिनांक 22.06.2004 को सिंपूर्दगी आराजीयात के वक्त इस बाबत् आपत्ति एवं एतराज करता किन्तु प्रार्थी द्वारा कोई किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज आंवटन दिनांक 22.06.2004 के बाबत् आज दिन तक नहीं किया है, जो उक्त आंवटन बाबत् प्रार्थी एवं उसके परिवारजन की स्वतंत्र स्वीकारोक्ति है तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं उसके परिवारजन का कब्जा नहीं होने का ही द्योतक है। उत्तरदाता विपक्षी संख्या 02 द्वारा उक्त आराजीयात को कय करने की प्रार्थी को प्रारंभ से जानकारी होते हुऐ भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति, एतराज तत्कालीन समय में नहीं कर यह प्रार्थना पत्र अब दुरष्ठयपूर्वक सर्वथा गलत एवं बैरून मियाद क्षेत्राधिकार से परे पेश किया है जो उदाहरर्णीय खर्चे पर काबिल खारिज है।

निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय उदाहरर्णीय खर्च पर खारिज फरमाते हुऐ उत्तरदाता विपक्षी को प्रार्थी से बतौर हर्जाना क्षतिपूर्ति स्वरूप 50000/– रूपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में घोषणात्मक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया में प्र०स० 09/2022 व 12/2022 विचाराधीन है। राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय रेफरेन्स/एल.आर/744/2004/अलवर दिनांक 28.04.2011 के पेरा 15 एवं 17 अनुसार 'When a suit is pending in trial court about the disputed land, suit will be decided on merits after considering all the evidence on record. Therefore reference is not maitainable'। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् रेफरेन्स अस्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

प्रकरण में वर्तमान में घोषणात्मक वाद न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया में जैरकार होने से Reference application non maintainable है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.2.26
(रणजीत सिंह)
अति० जिला कलक्टर
भीलवाड़ा